आदिवासी : जन संस्कृति

डॉ. शैलजा जायस्वाल
अध्यक्ष–हिन्दी विभाग,
एम.जी. विद्यामंदिर, कला,विज्ञान,वाणिज्य महाविद्यालय, मनमाड, नाशिक.

भारत देश अपने सांस्कृतिक वैविध्य के लिए प्रसिद्ध है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। हमारे देश में समय–समय पर शक, हूण, यवन, इसाई, फ्रांसीसी, डच आदि विदेशी लोग आए और यहीं बस गए। यहाँ के मूल निवासियों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखा। यहाँ अन्य संस्कृतियों का भी समावेश होता गया। इस तरह भारत देश विशाल सांस्कृतिक धरोहर का देश बन कर मानवता का संदेश दे रहा है। महात्मा गाँधी, गौतम बुध्द, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचन्द, कबीर आदि महानुभवों ने मानवता का प्रचार कर शांति दूत कहलाए। सभी धर्मों, जातियों, वर्गों, वर्णो, किसानों, दलितों, आदिवासियों बंधुआ मजदूर, स्त्री–पुरूष सभी को यहाँ सम्मान दिया जाता है।

हमारे समाज में सवर्ण–चेतना एक मिथ्यावादी चेतना है, जो वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि आधार पर विकसित है जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया है। धीरे–धीरे यही वर्ण–व्यवस्था, जातिवाद, जनजातिवाद जैसी संकीर्ण सोंच बन गई। विद्वानों ने इस घृणित सोच का मतभेद किया, कबीर रविदास आदि ने विद्रोह के स्वर जगाकर लोगों को जागृत किया। धर्म जाति से पिछड़े लोग मानव कल्याण के लिए बाधक है, क्योंकि मानव कल्याण अर्थात सभी मानव जाति का कल्याण है, न कि कुछ क्षेत्र, जातियों, कुछ टुकड़ों का कल्याण है। युगों युगों से पीड़ित शोषित जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ना ही सांस्कृतिक एकता है। आज भी कई जातियाँ, आदिवासी क्षेत्र शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से भेदभाव का शिकार है। उन्हें वह सम्मान और हैसियत नहीं मिलती जिसके वे हक़दार है। भारतीय संविधान में पीड़ित एवं जर्जरित जनजातियों को शिक्षित कर उन्हें सुधारने की योजनाएँ बनायी गई। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया लेकिन फिर भी इनकी स्थिति शोचनीय बनी हुई है। ये लोग अपनी जगीनों के लिए, भूभागों के लिए अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे है।

आदि अथवा आदिम शब्द का अर्थ प्रथम अथवा पहला होता है। 'म' का अर्थ मानव प्रतीत होता है। मानक शब्द कोश के अनुसार आदम का अर्थ "किसी देश या प्रांत के निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आए हो और जिनके बाद और लोग भी वहाँ रहते आए हो और जिनके बाद और लोग भी वहाँ आकर बसे हों।" आदिवासी का अन्य अर्थ " आदिवासी यानी मूल निवासी यानी भारत का मूल बाशिन्दा, इस धरती का पुत्र, धरती और प्रकृति के साथ पैदा हुआ, पनपा बढ़ा और सहजीवी बना।" आदिवासी पर्वतों, खण्डहरों, जंगलों, वनों में समूह बनाकर रहते है।

आदिवासियों का जीवन कृषि एवं वन उत्पादनों पर निर्भर होता है। कृषि पर लगाये गये प्रतिबंध, उपनिवेशीकरण, भूमंडलीकरण आदि के कारण मालिक से मजदूर हो गए। हमारे देश की अधिकांश वन सम्पदा, कोयला खदान, खनिज सम्पदा आदि प्राकृतिक संसाधन आदिवासी क्षेत्रों में है। वनों की कटाई, व्यापक उत्खनन, उद्योग, बाँधो, परिवहन मार्ग की योजनाएँ आदिवासी समुदायों के लिए शुरू हुई थी लेकिन इन योजनाओं से आदिवासी लाभान्वित नहीं हुए। उन्हें उनके घर से निकाल कर बेघर कर दिया गया। वे किसानों से मजदूर बन गये। बंधुआ बनने पर विवश हो गये। इन्हें विकास के नाम पर विनाश दिया गया। आर्थिक आधार पर भारत की जनजातियों को चार भागों में विभाजित किया गया है :–

१. शिकार और भोजन इकठ्ठा करने वाली जनजाति
२. पशुपालक जनजाति
३. खेती करने वाली जनजाति
४. उद्योग धंधों में काम करने वाली जनजाति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (1) में भारतीय जनजातियों का संदर्भ स्पष्ट किया गया है इसके अन्तर्गत 1951 में 212 जनजातियों के अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया था। यह संख्या 2001 की जनगणना अनुसार 533 जनजातियाँ हो गई। जनगणना अनुसार इसमें और भी बढ़ोतरी भी हो सकती है। इस प्रकारर भारत की कुल जनसंख्या का 8.20 प्रतिषत संख्या अनुसूचित जनजातियों का है। 'अनुसूचित जनजाति' आदिवासी जनजातियों का संवैधानिक नाम है। आदिवासी और जनजाति दोनों ही षब्द प्रषासनिक स्तर पर व्यवहार में आ गया है। इसके लिए 'वनवासी' षब्द भी